जरिये ई–मेल

राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

नेहरू सहकार भवन, चतुर्थ तल, भवानी सिंह रोड़ जयपुर–302005

Email-add.nps.sipf@rajasthan.gov.in Phone no. 0141-2207916 Website-www.sipf.rajasthan.gov.in

क्रमांकः–प.19(A)/एनपीएस/राज्य सरकार /2019–20/ 272 दिनांकः–12-06-24

परिपत्र 01

दिनांक 01.04.2022 एवम् उसके पश्चात् मृत्यु/सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के एनपीएस कार्मिकों के प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 04 दिनांक 25.01.2024 में आंशिक संशोधन कर निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

1 दिनांक 01.04.2022 एंव उसके पश्चात् सेवानिवृत्त/मृत्यु के प्रकरणो के निस्तारण में कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का कार्मिक मानते हुए ही राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.05.2022 के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

2. दिनांक 01.04.2022 के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों द्वारा दावा प्रस्तुति के समय सहमति–पत्र (संलग्न) दिया जाना अनिवार्य है। सहमति–पत्र में राजकीय कोष में ज़मा योग्य राशि के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गए निर्देशानुसार एवम् नियमानुसार राज्य सरकार को देय राशि का समायोजन सेवा उपादान (ग्रेच्युटी) एवम शेष उपार्जित अवकाशो के नकदीकरण की राशि से वसूल करने की सहमति प्रदान की जायेगी। सहमति पत्र प्रदान नहीं किए जाने की स्थिति में कार्मिक का एनपीएस दावा एनएसडीएल को अग्रेषित नहीं किया जावेगा।

3.दावा प्राप्ति पर प्रथम कटौती से अंतिम कटौती तक का सत्यापन किया जाकर एसआइपीएफ पोर्टल पर अपडेट किया जायेगा। कार्मिक की कटौतियों का सत्यापन विभागीय रिकार्ड, एनपीएस पासबुक अथवा जीए 55(A) के आधार पर किया जाकर आरपीएमएफ/आरजीएचएस की कटौतियां एंव एनपीएस से आहरित राशियों (यदि कोई हो) को घटाया जायेगा

4.कार्मिक द्वारा सहमति प्रदान करने पर एनपीएस का दावा पूर्ण सन्तुष्टि पश्चात् ही एनएसडीएल को प्रेषित किया जायेगा।

5.उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात भुगतान प्राप्ति पर सीआरए (एनएसडीएल) पोर्टल पर दर्शाए सकल कार्पस राशि की प्रवृष्ठि अनिवार्य रूप से एसआईपीफ पोर्टल पर की जायेगी, जिससे सेवानिवृत्त कार्मिक की समायोजन योग्य राशि की गणना की जा सके।

6. उक्त कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात एसआईपीएफ पोर्टल पर एनपीएस डेसबोर्ड पर निम्न परिणाम प्रदर्शित होंगे:–

a) Total Corpus
b) Total Claim Amount (c+d)
c) RPMF/RGHS
d) Net Claim Amount (b-c)
e) Recoverable Amount (a-b)

RajKaj Ref
7775434

Signature valid

Digitally signed by Rampal Parsoya
Designation : Additional Director
Date: 2024.06.11 17:26:09 IST
Reason: Approved

- बिन्दु संख्या 6 (a) में प्रदर्शित राशि बिंदु संख्या 5 पर अपडेट की गयी राशि के बराबर होगी।
- बिन्दु संख्या 6 (b) में प्रदर्शित राशि आरपीएमएफ/आरजीएचएस की राशि एवं कार्मिक को भुगतान किये जाने वाली राशि का योग है।
- बिन्दु संख्या 6 (c) में प्रदर्शित राशि आरपीएमएफ / आरजीएचएस बजट मद (8342—00—120—69) में जमा करवाई जाने योग्य राशि है।
- बिन्दु संख्या 6 (d) में प्रदर्शित राशि कार्मिक को भुगतान की जाने वाली सकल राशि है।
- बिन्दु संख्या 6 (e) में प्रदर्शित राशि पेंशन मद (0071—01—800—04—01) में जमा करवायी जाकर सूचना निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में सेवानिवृत्त कार्मिक को उपलब्ध करवाई जायेगी।

7 दिनांक 01.04.2022 के पश्चात सेवानिवृत्त हो चुके कार्मिको के प्रकरणों योग्य निस्तारण से सीआरए (एनएसडीएल) के आदेशों से पूर्व किया किया जाकर सम्पूर्ण कार्पस राशि को राज्य सरकार के पेंशन मद 0071—01—800—04—01 में जमा करवा दिया गया हो तो ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रकरण संभागीय अधिकारी के मार्फत मुख्यालय को भिजवाया जावें ताकि कार्मिक की एनपीएस में जमा निजी अंशदान राशि का भुगतान सक्षम स्वीकृति उपरान्त किया जा सकें।

8 एनपीएस आशिंक आहरण की प्रवृष्ठि (Debit) की खतौनी एसआईपीएफ पोर्टल पर होना सुनिश्चित करे एंव यदि कार्मिक द्वारा उसके द्वारा आहरित आंशिक आहरण पुनः जीपीएफ 2004 मद मे जमा करवा दिया गया हो तो उसका भुगतान कार्मिक / मनोनीत को जीपीएफ 2004 से किया जावेगा।

9 सेवानिवृत कार्मिकों जिनको पेंशन विभाग द्वारा सेवा उपादान (ग्रेच्युटी) एवम शेष उपार्जित अवकाशो के नकदीकरण की राशि का भुगतान कर दिया गया है, उनके दावे सीआरए एनएसडीएल पर अग्रेषित करने से पूर्व कार्मिक से जमा करवायी जाने योग्य राशि पेंशन बजट में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10 10 वर्ष से पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिक अथवा वे कार्मिक जिनके द्वारा सेवा से त्यागपत्र दिया गया है उन कार्मिकों को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अन्तर्गत सेवा उपादान (Service Gratuity) नियमानुसार देय होने पर ही सेवा उपादान राशि का भुगतान किया जायेगा। 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवृत्त / सेवा से त्यागपत्र देनें की स्थिति में सेवा उपादान राशि देय नहीं है। ऐसे कार्मिकों का राजकीय अंशदान एवम् उस पर अर्जित रिटर्न के बराबर राशि राजकोष में जमा करवाने पर ही उनके दावें एनएसडीएल पोर्टल पर प्रस्तुत किये जायेगें।

11 लीगेसी राशि/एनएसडीएल में अहस्तांतरित राशियों के प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। मार्गदर्शन प्राप्त होते ही अनुसार सूचित कर दिया जायेगा। प्रस्ताव प्राप्ति तक इन राशियों का समायोजन नहीं किया जावे।

RajKaj Ref
7775434

Signature valid
Digitally signed by Rampal Parsoya
Designation : Additional Director
Date: 2024.06.11 17:26:09 IST
Reason: Approved

12 एनपीएस नियोक्ता अंशदान राशि की गणना जिला कार्यालयों के स्तर से की जाएगी उक्त गणना में राज्य सरकार के अंशदान पर अर्जित रिटर्न राशि को दर्शाया जावेगा। यदि कार्मिक द्वारा राज्य सरकार के हिस्से की राशि में से भी एनपीएस ट्रस्ट से कोई राशि प्रत्याहरित की गयी है तो उक्त राशि को भी जमा किया जावेगा।

13 कार्मिक से सम्पूर्ण राशि मय अर्जित मूल्य जमा होने पर उसका प्रमाणीकरण विभागीय जिला कार्यालयों के स्तर से किया जायेगा।

14 राशि जमा होने के प्रमाणीकरण की सूचना आईएमएफएस 3.0 में जोडे जाने का प्रावधान किया जायेगा, जब तक यह प्रावधान नहीं हो जाता है तब तक विभाग द्वारा निदेशक, पेंशन को इस सम्बन्ध में सूचना प्रेषित की जायेगी।

निदेशक महोदय, का अनुमोदन प्राप्त है।

(रामपाल परसोया)
अतिरिक्त निदेशक जीपीएफ–2004

क्रमांकः–प.19(I)/एनपीएस/राज्य सरकार /2019–20/273–78 दिनांकः– 12-06-24
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः–

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, मुख्यालय, जयपुर राज।
2. सयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा), विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय/ साधारण बीमा निधि जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, संभागीय कार्यालय ।
5. समस्त संयुक्त/उप/सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जिला कार्यालय।

अतिरिक्त निदेशक जीपीएफ–2004

RajKaj Ref
7775434

Signature valid
Digitally signed by Rampal Parsoya
Designation : Additional Director
Date: 2024.06.11 17:26:09 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

कार्यालय राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग .... ।

वित्त विभाग का Notification दिनांक 19.05.2022 की अनुपालना के क्रम में नवीन अंशदायी पेंशन योजना (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) का विकल्प चुनने पर कार्मिक को किये गए भुगतान का प्रमाण पत्र

(उक्त प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.2022 के पश्चात मृत्यु/ सेवानिवृत्ति प्रकरणों के लिए है।)

1.	नाम अंशदाता	....
2.	पद	
3.	विभाग	
4	प्रान नंबर	
5.	एम्लोई आई. डी	
6.	जन्म दिनांक	
7.	मूल वेतन	
8.	राजकिय सेवा में नियुक्ति दिनांक	
9.	सेवानिवृत्ति/मृत्यु दिनांक	
10	प्रथम कटौती दिनांक से सेवानिवृत्ति/ मृत्यु दिनांक तक एनपीएस में कटौती/कुल जमा राशी/समायोजन योग्य राशि	**जमा/भुगतान योग्य राशि का विवरण** 01. कर्मचारी का अंशदान .... 02. राजकीय अंशदान .... 03. प्रतिफल राशि .... कुल कॉर्पस राशि **समायोजन योग्य राशि** भुगतान योग्य राशि (निजी अंशदान मय GPF ब्याज) .... RPMF/RGHS मद(8342—00—120—69) .... में जमा योग्य राशि । राजस्व मद (0071—01—800—04—01) .... में स्थानान्तरण योग्य कुल राशि।
11	राजस्व मद में स्थानान्तरित राशि का विवरण	राजस्व मद में स्थानान्तरित राशि .... GRN नम्बर .... राशि स्थानान्तरित की दिनांक ....
12	विशेष टिप्पणी	....

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अधिकारी / कर्मचारी के एनपीएस की समस्त कटौतियों की जाँच एवम मिलान कर भुगतान कर दिया गया है तथा अब कोई राशि राज्य बीमा एवम प्रावधायी निधि विभाग के स्तर से बकाया नहीं है।

संलग्नः— 1. गणना प्रपत्र कॉलम न 10

2. GRN की प्रति प्रपत्र कॉलम न. 11

दिनांक ....

सहायक/उप/संयुक्त निदेशक
राज्य बीमा एवम प्रावधयी निधि विभाग
..

<u>सहमति–पत्र</u>

(50 रु के ज्युडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत किया जावे)

मैं..पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... निवासी ....सेवानिवृत्ति के समय धरित पद .... विभाग का नाम .... स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PARN) ....एम्प्लोई आईडी संख्या ....

सेवानिवृत्ति दिनांक ....शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि–

1. मैं पूर्व में राज्य सरकार द्वारा घोषित एनपीएस का अंशदाता था/थी। मैं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.05.2022 की पालना मे एनपीएस अंशदाताओ के लिए लागू ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत पेंशन लाभर लेने का विकल्प चुनता/चुनती हूँ।

2.राज्य सरकार द्वारा NPS से OPS का विकलप चुनने की स्थिति मे अंशदाता द्वारा राजकीय कोष में जमा कराने योग्य राशि के सम्बन्ध में समय–समय परा जारी किये गए दिशा–निर्देशों एवम् नियमों के बारे में अपनी सहमति प्रदान करता/करती हूॅ।

3. मै PFRDA/NPS ट्रस्ट मे जमा राशि मे से राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.05.2022 के अनुसारा राज्य सरकार को देय राशि मुझे सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाली ग्रेच्युटी एवम् शेष उपार्जित अवकाशों के नकदीकरण की राशि से समायोजन की सहमति प्रदान करता/करती हूॅ।

4. यदि मेरे द्वारा राज्य सरकार को बिन्दु संख्या 3 के अनुसार देय राशि मुझे सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाली ग्रच्युटी एवम् शेष उपार्जित अवकाशें के नकदीकरण की राशि से समायोजन के पश्चात् भी शेष रह जाती है तो मै उक्त राशि राजकीय कोष मे जमा करवाने की सहमति प्रदान करता/करती हूॅ।

स्थान......................................

दिनांक.................................. **हस्ताक्षर सहमतिप्रदाता**

<u>सत्यापन</u>

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... सशपथ सत्यापित करता/करती हूॅ कि मेरे द्वारा उपरोक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 4 मे दिए गए तथ्य सत्य है एवम् मेरे द्वारा पूर्ण होशोहवास मे पढ़कर एवम समझ कर हस्ताक्षरित किये गए है जो कि सनद रहे है।

स्थान......................................

दिनांक.................................. **हस्ताक्षर सहमतिप्रदाता**